न्यायालय जिला कलक्टर, बांसवाड़ा (राज.)

पीठासीन अधिकारी – डॉ.इंद्रजीत यादव, IAS

जिला कलक्टर, बांसवाड़ा
प्रकरण संख्या : 04 / 2024
जीसीएमएस नं. : 2024 / 75

प्रार्थी :–		अप्रार्थी :–
सरकार जरिये प्रवर्तन अधिकारी, जिला रसद कार्यालय, बॉसवाडा	**बनाम**	श्री गणेश जोशी पिता हीरालाल जोशी गणेश कचौरी – समौसा सेन्टर, पुलिस लाईन के सामने, बॉसवाडा (राजस्थान)

उपस्थित

–विभागीय प्रतिनिधि

श्री हरिविष्णु पुरोहीत – अभिभाषक (अप्रार्थी)

निर्णय

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6–ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955

दिनांक :– 27–11–2024

संक्षेप में प्रकरण इस प्रकार है कि खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग राजस्थान सरकार द्वारा घरेलू एलपीजी सिलेण्डरो के दुरुपयोग/ अवैध रिफिलिंग के विरुद्ध दिनांक 17.09.2024 से 27.09.2024 तक चलाए गए सघन अभियान के तहत दिनांक 21.09.2024 को गणेश कचौरी – समौसा सेन्टर, पुलिस लाईन के सामने, बॉसवाडा (राजस्थान) का निरीक्षण श्री मणि खींची प्रवर्तन अधिकारी, श्री धर्मेन्द्र कुमार रोत, प्रवर्तन अधिकारी, श्री विनोद कुमार पाटीदार प्रवर्तन निरीक्षक, श्री सुनील कुमार मीणा प्रवर्तन निरीक्षक, श्री गौरव सुथार प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा किया गया। निरीक्षण के दौरान गणेश कचौरी – समौसा सेन्टर, पुलिस लाईन के सामने, बॉसवाडा (राजस्थान) पर फर्म के प्रोपराईटर श्री गणेश जोशी पिता हीरालाल जोशी उपस्थित मिले। मौके पर 02 घरेलु सिलेण्डर का व्यवसायिक फर्म पर उपयोग हेतु भण्डारण करना पाया गया। उक्त गैस सिलेण्डरो का विवरण निम्नानुसार है–

क्र. स.	नाम ऑयल कम्पनी	सिलेंडर का एस. आर. नम्बर	कुल वजन किग्रा. में	खाली सिलेण्डर वजन	गैस का वजन
1	एचपी गैस	345121 E	22.000	15.800	6.200
2	भारत गैस	314617 T	17.000	16.100	0.900

Signature Not Verified
Digitally signed by Inderjeet Yadav
Date: 2025.01.23 12:59:01 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
बांसवाड़ा (राज.)

श्री गणेश जोशी द्वारा व्यवसायिक स्थल पर घरेलु गैस सिलेण्डरो के भण्डारण के सम्बन्ध में किसी प्रकार का संतोषजनक जवाब नही दिया गया, न ही किसी प्रकार के साक्ष्य प्रस्तुत किए गए। इस प्रकार मौके पर व्यवसायिक स्थान पर 02 घरेलु सिलेण्डरो का व्यवसायिक उपयोग किया जाना पाये जाने एवं द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय का विनियमन एवं वितरण) आदेश 2000 के खण्ड 3 (ग), 4(1 क), 6, 7 (क,ख,ग) का उल्लघंन होने के साथ ही आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के खण्ड 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। मौके पर पाये गये 02 घरेलु गैस सिलेण्डर जब्त किए जाकर शहीद रामचन्द्र गैस एजेन्सी बांसवाडा के अधिकृत प्रतिनिधि जीतमल/ शंकरलाल को सुपुर्दगी में दिया गया।

इस प्रकार प्रवर्तन अधिकारी बॉसवाडा द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6–ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत प्रस्तुत कर मौके से उपरोक्तानुसार जप्त 02 घरेलु गैस सिलेण्डर को राजसात करने हेतु निवेदन किया।

प्रकरण दर्ज कर अप्रार्थी को जरिये समन तलब किया गया। दिनांक 27.11.2024 को अप्रार्थी की ओर से श्री हरिविष्णु पुरोहीत अधिवक्ता का अभिभाषक पत्र एवं जवाब प्रस्तुत हुआ अप्रार्थी के अधिवक्ता ने जवाब में मुख्य रुप से यह उल्लेख किया कि अप्रार्थी के विरुद्ध जरिये प्रवर्तन निरीक्षक जिला रसद कार्यालय बांसवाडा में जो आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत कार्यवाही की गई है जो निराधार है। अप्रार्थी किसी भी प्रकार का घरेलु गैस सिलेण्डरो का व्यवसाय उपयोग नही कर रहा था न ही भण्डारण किया गया है। उक्त गैस सिलेण्डरो को राजसात किया जाता है तो अप्रार्थी को कोई आपत्ति नही है। उक्त जब्तशुदा माल अप्रार्थी का नही है न ही अप्रार्थी के कब्जे से पाया गया है। अप्रार्थी के अधिवक्ता ने उक्त जवाब के साथ ही बहस प्रस्तुत की। बहस में भी उक्त बिन्दुओं को दौहराते हुए जब्तशुदा गैस सिलेण्डरो को राजसात करने निवेदन किया।

प्रार्थी की ओर से विभागीय प्रतिनिधि ने कथन किया कि दिनांक 21.09.2024 को गणेश कचौरी – समौसा सेन्टर, पुलिस लाईन के सामने, बॉसवाडा (राजस्थान) का निरीक्षण श्री मणि खींची प्रवर्तन अधिकारी, श्री धर्मेन्द्र कुमार रोत, प्रवर्तन अधिकारी, श्री विनोद कुमार पाटीदार प्रवर्तन निरीक्षक, श्री सुनील कुमार मीणा प्रवर्तन निरीक्षक, श्री गौरव सुथार प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा किया गया। निरीक्षण के दौरान गणेश कचौरी – समौसा सेन्टर, पुलिस लाईन के सामने, बॉसवाडा (राजस्थान) पर फर्म के प्रोपराईटर श्री गणेश जोशी पिता हीरालाल जोशी उपस्थित मिले। मौके पर 02 घरेलु सिलेण्डर का व्यवसायिक फर्म पर उपयोग हेतु भण्डारण करना पाया गया। श्री गणेश

Signature Not Verified

जिला कलक्टर
बांसवाड़ा (राज.)

जोशी द्वारा व्यवसायिक स्थल पर घरेलु गैस सिलेण्डरो के भण्डारण के सम्बन्ध में किसी प्रकार का संतोषजनक जवाब नही दिया गया, न ही किसी प्रकार के साक्ष्य प्रस्तुत किए गए। इस प्रकार मौके पर व्यवसायिक स्थान पर 02 घरेलु सिलेण्डरो का व्यवसायिक उपयोग हेतु भण्डारण किया जाना पाये जाने एवं द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय का विनियमन एवं वितरण) आदेश 2000 के खण्ड 3 (ग), 4(1 क), 6, 7 (क,ख,ग) का उल्लघंन होने के साथ ही आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के खण्ड 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। मौके पर पाये गये 02 घरेलु गैस सिलेण्डर जब्त किए जाकर शहीद रामचन्द्र गैस एजेन्सी बांसवाडा के अधिकृत प्रतिनिधि जीतमल/ शंकरलाल को सुपुर्दगी में दिया गया। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6–ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 स्वीकार कर उपरोक्तानुसार जप्त 02 घरेलु गैस सिलेण्डर को राजसात करने हेतु निवेदन किया।

हमने पत्रावली का गहनतापूर्वक अवलोकन किया। अप्रार्थी से उपरोक्तानुसार 02 घरेलु गैस सिलेण्डर गणेश कचौरी – समौसा सेन्टर, पुलिस लाईन के सामने, बॉसवाडा (राजस्थान) व्यवसायिक संस्थान पर उपयोग हेतु भण्डारण करते हुए पाये गए है। पत्रावली के संलग्न फर्द मौका एवं जब्ती पर अप्रार्थी के हस्ताक्षर है। इस प्रकार अप्रार्थी द्वारा व्यवसायिक फर्म पर घरेलु गैस का उपयोग किया जाना प्रमाणित है।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6–ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 स्वीकार किया जाकर उपरोक्तानुसार जब्त शुदा 02 घरेलु गैस सिलेण्डर को राजसात किये जाने के आदेश दिये जाते है। जिला रसद अधिकारी, बांसवाड़ा उक्त गैस सिलेण्डर का नियमानुसार निस्तारण करें।

निर्णय आज दिनांक 27–11–2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ.इंद्रजीत यादव)
जिला कलक्टर
बांसवाड़ा (राज.)

जिला कलक्टर
बांसवाड़ा (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Inderjeet Yadav
Date: 2025.01.23 12:39:01 IST
Reason: SelfAttested